

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-685) अलेसे-1/4039-4045 दिनांक:- 27/06/2024

आदेश

श्री शब्बीर खान, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के द्वारा जिला परिषद, जयपुर, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के अधीनस्थ पंचायत समिति, दूदू के अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खेडी राम, पंचायत समिति, दूदू, जिला जयपुर में दिनांक 20.10.1993 से 20.03.1995 तक तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर की गई राजस्थान सरकार की सेवा को राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम-25 के अन्तर्गत राज्य सरकार की पेंशन योग्य सेवा में गणना करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-685) अलेसे-1/4039-4045 दिनांक: 27/06/2024
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज0 जयपुर।
2. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू जिला दूदू।
4. श्री शब्बीर खान, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू जिला दूदू।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/पदस्थापन सीट।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)